

छत्तीसगढ़ शासन



तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित
शासकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों

तथा

निजी पॉलिटैक्निक संस्थानों में संचालित
इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 में
प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम एवं प्रक्रिया

तकनीकी शिक्षा संचालनालय

तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2221376, फेक्स 0771-2331331

website-www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पी.पी.टी. का फार्म भरते समय नहीं होती है। इन दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि दस्तावेज परीक्षण के समय असुविधा न हो :-
 1. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र
 2. स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
 3. दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु तथा अर्हकारी परीक्षा के प्रमाण हेतु)
 4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) होने का प्रमाणपत्र (अभिभावक का)
 5. सैनिक (Sainik) होने का प्रमाणपत्र (अभिभावक का)
 6. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र -
 - (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड
 - (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर फोन न. 0761-2405581 द्वारा जारी हो।
(उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाण पत्र- संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण-पत्र आवश्यक है)
- प्रवेश की कार्यवाही आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा की जाएगी। काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट. www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करते रहें ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जून-जुलाई के माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा**
- पी.पी.टी. फार्म भरने से पूर्व इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आप प्रवेश हेतु पात्र हैं। केवल प्रवेश परीक्षा में बैठने मात्र से प्रवेश की पात्रता नहीं बन जाती।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
:::- मंत्रालय -::

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-11/ /तक. शि./42 दिनांक / /2016

“छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (Diploma in Engineering) में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। सत्र 2016-17 के लिये इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये पी.पी.टी परीक्षा को सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाता है।”

इसके तहत निजी क्षेत्र के डिप्लोमा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग उपाधि पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में सत्र 2016-2017 में निर्धारित सीटों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा प्री-पॉलीटेक्निक टेस्ट (पी.पी.टी.) - 2016 के मेरिट के आधार पर होंगे। प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।

पी.पी.टी.-2015 के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में भी प्रवेश होंगे तथापि अनुसूचित जिलों सरगुजा, बस्तर, कोरिया, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर एवं जशपुर में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक क्रमशः जगदलपुर, कोरिया, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, रामानुजगंज एवं जशपुर में पी.पी.टी. के माध्यम से सीट नहीं भरने पर अर्हकारी परीक्षा 10 वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। पी.पी.टी. परीक्षा का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जाता है। प्रवेश के संबंध निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :-

- 2.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम ‘छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश नियम ‘2016’ कहलायेंगे। इन नियमों को एतस्मिन् पश्चात ‘प्रवेश-नियम’ कहा गया है।
- 2.2 **विस्तार**: ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों एवं निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के लिये लागू होंगे एवं इन संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।
- 2.3 **परिभाषायें** :-

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

1. **‘प्रवर्ग’ (Category)** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
2. **‘व्या.प.म.’** का तात्पर्य है ‘छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल’ छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. **‘सक्षम प्राधिकारी’** (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
4. **‘प्राचार्य’** का तात्पर्य है संस्था प्रमुख या संस्था का प्रभारी।
5. **‘छत्तीसगढ़’** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
6. **‘अ.भा.त.शि.प.’** का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
7. **‘संचालक’** का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

8. 'अभ्यर्थी' या 'उम्मीदवार' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
 9. 'वर्ग' (Class) से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग' में से कोई एक/जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।
 10. 'पी.पी.टी.' का तात्पर्य है छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपसी मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।
 11. 'इंजीनियरिंग डिप्लोमा' का तात्पर्य है सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, आई.टी., कम्प्यूटर साइंस, केमिकल, माइनिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन, प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, मेटलर्जी एवं एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम।
- 2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन** - विभिन्न प्रकार की डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाओं की सीटों को सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार 02 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CG	MGT
निजी संस्थायें	85	15
शासकीय संस्थायें	100	NIL

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी. - 2016 की मेरिट के आधार पर (बिंदु 2.7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी।

(2) मेनेजमेंट कोटा (Management Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत भी केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी.-2016 की मेरिट के आधार पर (बिंदु 2.7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) संस्था स्तर पर होंगे। इस कोटे में भी प्रवेश हेतु नियमानुसार न्यूनतम अर्हता एवं अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

टीप:-1. निजी संस्थाओं में मेनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक **Special Leave to Appeal (Civil) 26436/2012** के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

2 कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकता है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

2.4 (ब) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले संभावित पालीटेक्निक संस्थाएं, पाठ्यक्रम एवं शर्तें

1. Table-1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है।
2. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु. 500/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कौशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कौशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा। यह कौशन मनी संस्थाओं द्वारा TFW के कम्प्लायंस एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है।

2.5 सीटों का आरक्षण :-

2.5.1 उर्ध्वाधर (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए-

शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के

आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा।

छ.ग. राजपत्र में जारी अधिसूचना क्र. एफ 9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार सत्र 2013-14 से निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु भी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। निजी संस्थाओं के छ.ग. राज्य कोटा हेतु उपलब्ध सीटों पर उपरोक्तानुसार आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी -(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

‘सैनिक वर्ग’, ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग’, ‘निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों’ के लिये

शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC,ST,OBC,UR) हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरुद्ध पुनः ‘सैनिक’ (S) ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी’ (FF), निःशक्तता से बाधित वर्ग (PH) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 व 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निजी संस्थाओं में क्षैतिज आरक्षण नहीं है।

2.5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से निःशक्तता से बाधित हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो शामिल है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा ऑफिसर कमांडिंग द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये हैं उन्हें नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 (ब) में प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप-3 (स) एवं प्रारूप-6 दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र (जिस हेतु क्रमशः संलग्न प्रारूप-6 का उपयोग किया जा सकता है) प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

टीप: 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिव्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनकी संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

2.5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नाती/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 2.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टर में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-4 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा।

2.5.2.3 निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण (PH)

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक है एवं जो नियम 2.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, उनके लिये शासकीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षेत्रीय आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा। यदि किसी ब्रांच में इस क्षेत्रीय आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा। निःशक्तजनों को माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश की पात्रता नहीं है।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को 1. जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण पत्र एवं 2. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर फोन न. 0761-2405581 द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करने होंगे। (दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं) इसलिए पहले से दोनो प्रमाण पत्र अभ्यर्थी बनवा लें। यदि किसी निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर UR की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुनर्वास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है।

2.5.2.4 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण

शासकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। राज्य के कन्या पॉलिटेक्निकों की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। माइनिंग शाखा में केवल पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता है, अतः इन सीटों में महिला आरक्षण नहीं है। निजी संस्थाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण नहीं है।

2.5.2.5 बिना वर्ग जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती चारों वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरुद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी।

2.5.2.6 किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वार एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

- 1. उर्ध्वार आरक्षण :-** सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी।
- 2. क्षैतिज आरक्षण :-** इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा, जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा।
- 3. उर्ध्वार आरक्षण** के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे Sainik, FF, PWD के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है।
- 4. आरक्षित प्रवर्ग** के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण Sainik, FF, PWD के लिये आरक्षित हैं, यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग की सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा। इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा।

2.5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा। परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पी.पी.टी.-2016 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर प्रवेश होंगे।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :

2.6.1 **शैक्षणिक अर्हता :** इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों यथा सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्युटर साइंस, इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, मेटलर्जी, इंस्ट्रुमेंटेशन एवं केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित अन्य समकक्ष परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ) सामान्य वर्ग के लिये कम से कम 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। SC,ST,OBC एवं निःशक्तता से बाधित के लिए केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा । 10 वीं कक्षा की परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । ग्रेस अंक से उत्तीर्ण मान्य होगा ,परंतु ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

टीप : 1. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 34.5 या उससे ऊपर को 35 मान्य किया जायेगा ।

2. काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे । तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

शासकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-5) जमा करना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कर्मियों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी का पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति की अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (अॅडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के

दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

2.6.3 आयु सीमा:- डिप्लोमा स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तता से बाधित विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.7.1 सामान्य प्रवेश परीक्षा-पी.पी.टी.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा गणित एवं विज्ञान विषयों में प्रवेश परीक्षा पी.पी.टी.-2016 आयोजित की जायेगी। जो अभ्यर्थी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2.7.2 पी.पी.टी. 2016 की मेरिट का निर्धारण

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिये अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित पी.पी.टी. 2016 परीक्षा के गणित एवं विज्ञान विषयों में सम्मिलित होना आवश्यक है। पी.पी.टी.-2016 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की गणित एवं विज्ञान विषयों में प्राप्त सकल अंकों के अधिकतम अंकों के अवरोही क्रम में सम्मिलित प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्गों के लिये अलग-अलग प्रावीण्यता सूचियां तैयार की जायेंगी, इन प्रावीण्यता सूचियों से प्रवेश, काउंसिलिंग द्वारा दिया जायेगा ।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता - समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी।

प्रथम गणित (Maths), द्वितीय अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी । उम्र भी समान होने की स्थिति में दसवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

2.7.3 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक के लिए विशेष प्रावधान :-

सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज जिले स्थित शासकीय पालीटेक्निक एवं दंतेवाड़ा स्थित NMDC DAV Polytechnic में प्रवेश हेतु संबंधित उसी जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु

1. पहले संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पीपीटी के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा।
2. तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 10 वीं के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पीपीटी के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा ।
4. तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 10 वीं के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जायेगा ।
5. फिर भी सीट रिक्त रहने पर अन्य जिलों के अभ्यर्थियों से पीपीटी के आधार पर केंद्रीय आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा सीट भरी जायेगी।

स्पष्टीकरण :- संस्था द्वारा आवेदन पीपीटी एवं 10वीं दोनों के आधार पर मंगाये जायेंगे एवं मेरिट सूची एक साथ ही वर्गवार बनाई जायेगी जिसमें पीपीटी को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी सीट के लिए किसी वर्ग के पीपीटी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसे उसी वर्ग के 10वीं के अभ्यर्थी से भरा जाना चाहिए तत्पश्चात ही सीट का परिवर्तन किया जाना चाहिए।

2.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure)

2.8.1 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पी.पी.टी.-2016 के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा । काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी। काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । अतः पी.पी.टी.-2016 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें । काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी पॉलीटेकनिक संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है । साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में देखी जा सकती है । इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी । काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 10वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे । तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे । परंतु प्रतिशत की गणना के लिए कृपांक (Grace) के अंक जोड़े नहीं जायेंगे।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस - सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 200/- (रु. दो सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है। जमा करने का माध्यम की जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायगी।

2.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी काउंसिलिंग से पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में दी जायेगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आव-यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) ।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है:-

(सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्डी	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरपुर, नारायणपुर	नारायणपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक पेन्डी., राजनांदगाँव,	राजनांदगाँव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगाँव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुण्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस, जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केम्पस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

- यदि आपको किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है।
 - यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है। दस्तावेज परीक्षण हेतु समय सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी।
- 2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :
- सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज** - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।
- कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति।
 - 10वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **पूरक अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा।**
 - पी.पी.टी.-2016 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।
 - छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक- 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।
 - जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज -

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।
7. यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स) ।
8. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप-4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
9. यदि अभ्यर्थी निःशक्तता से बाधित (PH) है तो निःशक्तता से बाधित ता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र ।

बी.पी.एल. के लिये अनिवार्य दस्तावेज

10. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार में आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड ।
टीप : निःशक्तता से बाधित छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं ब्रांच का विकल्प भरें जिनके अध्ययन करने हेतु उन्हें उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया है/उपयुक्त हैं ।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । उसी प्रकार यदि आपके पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/ निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं इस वर्ग की सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिए समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.8.5 गंभीर बीमारी :-यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *दस्तावेज परीक्षण हेतु* सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

2.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, पी.पी.टी. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

2.8.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (H) में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (Op) में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (PH) के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (PH) के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को अन्य प्रवर्ग में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक महाविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित कर भरा जाएगा ।

2.8.8 एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी । यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकते हैं ।

2.8.9 छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रु. 500/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।

2. प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कौशन मनी पूरी वापस की जायेगी ।

कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं । प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा । यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा ।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

2.8.10 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :

ऑनलाईन काउंसिलिंग की अधिकतम 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी की राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराया जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी । संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी। संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्रों के अलावा उसी संस्था के पूर्व प्रवेशित छात्र भी अपना ब्रांच परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

2.8.11 प्रवेश की अंतिम तिथि : डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है ।

2.9 संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

2.12 एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक के लिए)

प्रथम वर्ष में प्रदेश के एक तकनीकी संस्था से दूसरे तकनीकी संस्था में केवल 04 स्थानांतरण राज्य शासन की अनुमति के पश्चात् विशेष परिस्थिति में (मेडिकल, आर्थिक व अन्य) जिसे शासन द्वारा उचित समझा जाये किये जा सकेंगे। इसके लिए स्थान रिक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी यह स्थानांतरण प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त **Over & Above** रहेंगे। स्थानांतरण के अन्य प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :-

- 1 एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।
- 2 एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परन्तु शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।
- 3 जिस संस्था से छात्र दूसरे संस्था में स्थानांतरित होता है, वहां इस रिक्त सीट को दोबारा भरा नहीं जायेगा।
- 4 स्थानांतरण का आधार (मेडिकल, आर्थिक व अन्य) स्पष्टतया तथा सावधानीपूर्वक वर्णित होना चाहिए।
द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण नियमानुसार स्थान रिक्त रहने पर ही किये जा सकेंगे। अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।

2.13 शिक्षण शुल्क-

अ. शासकीय संस्था हेतु -

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रु	वार्षिक शिक्षण शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	चाहे कोई भी आय हो	रु. 5000/ से 6000/इंजी. पाठ्यक्रम हेतु रु. 8000/फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 250000/- (ढाई लाख) तक है	देय नहीं (आदिम जाति विभाग से नियमानुसार प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 250000/- (ढाई लाख) से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 100000/- (एक लाख) तक है	देय नहीं (आदिम जाति विभाग से नियमानुसार प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 100000/- (एक लाख) से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।
4	छात्राओं से शिक्षण शुल्क	सभी प्रवर्ग के छात्राओं को शिक्षण शुल्क देय नहीं है ।	

टिप्पणी : वर्ष 2016-17 के लिये शासन द्वारा शुल्क में यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा। उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रु. 1000/- अन्य फीस भी देय है ।

(ब) निजी संस्था हेतु - “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं की सत्र 2015-16 की फीस की निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 9-53/2012/42/तक.शि. दिनांक 03 अक्टूबर 2012 एवं एफ 9-31/2013/तक.शि./42, दिनांक 02.08.2013 जारी किया गया है। जो वेबसाइट में उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु फीस का निर्धारण “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा किया जाना अपेक्षित है। निर्धारण होने तक सत्र 2015-16 के समान ही फीस लागू रहेगा एवं जब भी अंतिम शुल्क निर्धारित होगा इसका सामायोजन किया जायेगा।

निम्न संस्थाओं हेतु सत्र 2015-16 के लिये निम्नानुसार अंतिम फीस (Final Fees) निर्धारित है :-

स.क्र	संस्था का नाम	विकास एवं विविध शुल्क सहित कुल शुल्क प्रति सेमेस्टर रु.
1	Mansha Polytechnic College Kohka ,Bhilai	15750
2	Agrasen Polytechnic College, Dagniya Gunderdehi , Balod	15750
3	Bharti College of Polytechnic, Durg	15750
4	Shree Sai Polytechnic, Ahiwara, Durg	15750
5	Shree Rawatpura Polytechnic ,Dhaneli, Raipur	15250
6	Bharti College of Engineering & Technology, Durg (2 nd Shift)	14625
7	Garv Institute of Management & Technology, Durg (2 nd Shift)	14625
8	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai (2 nd Shift)	14625
9	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai (2 nd Shift)	14625
10	Shri Shankaracharya Institute of Technology & Management , Bhilai (2 nd Shift)	14625
11	Columbia Institute of Engg. & Technology Tekari, Raipur, (2 nd Shift)	14125
12	C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (2 nd Shift)	14125
13	JK Institute of Engineering Bilaspur (2 nd Shift)	14125
14	Kruti Institute of Technology & Engineering (2 nd Shift)	14125
15	MM College of Technology, Raipur (2 nd Shift)	14125
16	MATS School of Engineering &Tech., MATS University, Arang, Raipur (2 nd Shift)	14125
17	Rungta Engineering College, Raipur (2 nd Shift)	14125
18	Rungta College of Engineering & Technology , Raipur (2 nd Shift)	14125
19	Chhattisgarh Engineering college, Dhanora, Bhilai (2 nd Shift)	13200

आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अहिवारा, दुर्ग का सत्र 2013-14 के लिए शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-53/2012/42/तक.शि. दिनांक 03 अक्टूबर 2012 द्वारा विकास एवं विविध शुल्क सहित कुल शुल्क प्रति सेमेस्टर रु.13,200/- निर्धारित है। यही शुल्क सत्र 2015-16 के लिये अंतरिम शुल्क मानी जायेगी एवं जब भी अंतिम शुल्क निर्धारित होगा इसका सामायोजन किया जायेगा।

टीप : संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है। शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें ।

2.14 ट्यूशन फी वेहर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

2.14.1 यह योजना राज्य में स्थित एआईसीटीई/विवि से अनुमोदित /संबद्ध समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में लागू होगी।

2.14.2 काउंसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त पॉच प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा । तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के उपरांत अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो । अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सी.जी. पी.पी.टी. मेरिट के आधार पर देय होगी। उदाहरणार्थ- यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है और कुल प्रवेश 63 छात्रों का होता है तो 3 अभ्यर्थियों को TFW जायेगा । किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है ओर उसमें 62 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 2 अभ्यर्थी ही फी वेहर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे । प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगी । तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी । शासकीय संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। इस वर्ष ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे देय होगा।

इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की वित्तीय वर्ष 2015-16 की समस्त श्रोतों से आय रु. 4.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये । आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप-11 नियम पुस्तिका में दिया गया है। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण-पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो मान्य किया जायेगा।

2.14.3 ट्यूशन फी वेहर स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति के छात्रों की सूची भेजी जानी है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2015 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

2.14.4 ट्यूशन फी वेहर प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी । संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर या पी.पी.टी. सीटे छोड़ने पर फी वेहर की पात्रता समाप्त हो जायेगी । इसके स्थान पर पात्रतानुसार नीचे के मेरिट (प्रतीक्षा सूची) से फी वेहर स्वीकृत किया जा सकता है।

2.14.5 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेहर पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

2.14.6 ट्यूशन फी वेहर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते हैं तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी ।

2.14.7 ट्यूशन फी वेहर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी।

2.14.8 विवाद की स्थिति में संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

2.15 रैगिंग

2.15.1 परिभाषा:- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.15.2 रैगिंग का प्रतिशोध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.15.3 दण्ड :-यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशोध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

2.15.4 अपराधों का विचारण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये नियोग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.15.6 रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नंबर 1800-233-9188 पर शिकायत की जा सकती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव

छ.ग. शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग

छात्र हित में अन्य जानकारियों -

1. संस्थाओं के संबंध में अत्यावश्यक/आवश्यक जानकारियों-

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाएँ, फीस आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावकों की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है ।

2. **बी.पी.एल. स्कॉलरशिप** - यह योजना सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के बच्चों के लिये है । इस योजना के तहत रु. 500/- प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाती है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्था प्राचार्य को किया जाना होता है । इसकी स्वीकृति संचालनालय द्वारा की जाती है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है।

3. **मेरिट स्कॉलरशिप** - यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है। इसके लिये कोई आय का बंधन नहीं है । यह स्कॉलरशिप 10वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है । समस्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् कुल 54 छात्रों को यह स्कॉलरशिप आबंटित की जाती है । वर्तमान में इसकी दर रु. 600/-प्रतिमाह है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है।

4. **मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप** - यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है। परंतु इसके लिये आय का बंधन है । पालक की आय रु. 2,50,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यह स्कॉलरशिप 10वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है। यह स्कॉलरशिप संस्थावार आबंटित की जाती है। वर्तमान में इसकी दर रु. 600/- प्रतिमाह है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5. **आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC के लिये मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप एवं शिक्षण शुल्क की वापसी।**

शासन की नीति के अनुसार SC/ST/OBC के छात्र जो संस्थाओं में प्रवेशित है, उन्हें पालक के आय के अनुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है। साथ ही साथ आय के अनुसार ही शिक्षण शुल्क वापस पाने की भी पात्रता है। निजी संस्थाओं के लिये फीस की वापसी शासकीय संस्थाओं में निर्धारित फीस से समतुल्य होती है। इसकी विस्तृत जानकारी संस्था से अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आदिम जाति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

6. **ट्यूशन फी वेव्हर (TFW) योजना** - इसकी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 2.14 में दी जा चुकी है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2016** है ।

ABBREVIATIONS

F	-	Female quota seats
S	-	Sainik.
FF	-	Freedom Fighter.
P.W.D.	-	Person With Disability
P.H.	-	Physical PWD
SC.	-	Scheduled Caste
ST.	-	Scheduled Tribe
OBC.	-	Other Backward Class
UR	-	UnReserved
Op	-	Open both for Male & Female
TO	-	Total

Branches of Engineering

CE	-	Civil Engineering
CH	-	Chemical Engineering
CS	-	Computer Science & Engineering
EE	-	Electrical Engineering
ET	-	Electronics & Telecommunication Engineering
IT	-	Information Technology
ME	-	Mechanical Engineering
MN	-	Mining Engineering
IE	-	Instrumentation
MT	-	Metallurgy

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

Table-1

Branch wise intake of Polytechnic Institutions Session 2016-17 (May be changed)																	
S.N.	Name of Institutes	Arch	CDDM	CE	CH	CS	EE	EEE	ET & T	IDD	IN	IT	ME	MN	MOM	MT	Total
1	Govt. Girls Polytechnic, Bilaspur					45			45			45					135
2	Govt. Girls Polytechnic, Jagdalpur		30						45			30			30		135
3	Govt. Girls Polytechnic, Raipur	30	30			45			45	30		30			40		250
4	Govt. Girls Polytechnic, Rajnandgaon		30						40						30		100
5	Govt. Polytechnic, Ambikapur			40		40	40		40				40	40			240
6	Govt. Polytechnic, Bijapur			30			30						30				90
7	Govt. Polytechnic, Dhamtari			40		60	60		60				60				280
8	Govt. Polytechnic, Durg			40		40	60		60			30	60		40	60	390
9	Govt. Polytechnic, Gariyaband			30									30	30			90
10	Govt. Polytechnic, Janjgir-Champa			30	30		30		30								120
11	Govt. Polytechnic, Jashpur					30			30				30				90
12	Govt. Polytechnic, Kabirdham					30	30		30								90
13	Govt. Polytechnic, Kanker			30					30				30				90
14	Govt. Polytechnic, Khairagarh					40	60		40				40			60	240
15	Govt. Polytechnic, Korba						60		30		30		60				180
16	Govt. Polytechnic, Koriya			30			30						30				90
17	Govt. Polytechnic, Mahasamund			30		30	30						30				120
18	Govt. Polytechnic, Narayanpur					30			30			30					90
19	Govt. Polytechnic, Raigarh			40		40	80		40				80			40	320
20	Govt. Polytechnic, Takhatpur								40				40				80
21	Govt. Polytechnic, Mugeli												60				60
22	Govt. Polytechnic, Ramanujanj			60													60
23	Govt. Polytechnic, Sukma						60										60
24	Govt. Polytechnic, Balodabazar						30						30				60
25	Govt. Polytechnic, Bhatapara			60													60
26	Govt. Coed Polytechnic, Raipur			40			40						40				120
27	Govt. Coed Polytechnic, Bilaspur						60										60
28	Govt. Coed Polytechnic, Jagadalpur						60										60
29	Govt. Polytechnic, Surajpur			60			60							60			180

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

S.N.	Name of Institutes	Arch	CDDM	CE	CH	CS	EE	EEE	ET & T	IDD	IN	IT	ME	MN	MOM	MT	Total
30	Govt. Polytechnic, Kondagaon			60			60						60				180
31	Govt. Polytechnic, Berla (Bemetara)			60			60						60				180
	Total Govt.	30	90	680	30	430	940		635	30	30	165	810	130	140	160	4300
32	IBTCDE, Ahiwara, Durg			90		30	60		30				90				300
33	NMDC, DAV, Dantewada						60						60				120
34	Shri Rawatpura Polytechnic ,Dhaneli, Raipur			30			60						60				150
35	Sai Polytechnic, Ahiwara, Durg			60		60	60						60				240
36	Bharti College of Polytechnic, Durg			60		60	60		60				60				300
37	Agrasen Polytechnic College, Dagniya Gunderdehi , Balod			54			54						54	91		54	307
38	Rungta Engineering College, Raipur (2nd Shift)			71			48						96				215
39	Garv Institute of Management & Technology, Durg (2nd shift)			36			36		36				36				144
40	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai (2nd shift)			96									96				192
41	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai (2nd shift)						96						96				192
42	Bharti College of Engineering & Technology, Durg (2nd shift)			48		48							48				144
43	Chhattisgarh Engineering College, Borsi- Dhanora Road, Durg (2nd shift)			69									69				138
44	MM College of Technology, Raipur (2nd Shift)			36				60					36				132
45	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur (2nd shift)			60			60						60				180
46	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management , Bhilai (2nd shift)			74									74				148
47	JK Institute of Engineering Bilaspur (2nd Shift)						60						60				120
48	Rungta College of Engineering & Technology , Raipur(2nd shift)			71									71				142
49	MATS School of Engineering &Tech., Arang, Raipur(2nd shift)			60									60				120

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

S.N.	Name of Institutes	Arch	CDDM	CE	CH	CS	EE	EEE	ET & T	IDD	IN	IT	ME	MN	MOM	MT	Total
50	Rungta Engg. College Bhilai (2nd Shift)			60									60				120
51	Bilaspur College of Polytechnic, Bilaspur			60		60	60							60			240
	Total Private			1035		198	654	60	126				1246	91		54	3644
	Grand Total Govt+ Private	30	90	1715	30	628	1594	60	761	30	30	165	2056	221	140	214	7944

टीप :-

1. संस्थाओं/सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
2. संस्थाओं में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति/एवं छ.ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के संबद्धता के उपरान्त ही दिया जा सकेगा ।
3. सभी संस्थाओं में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें (TFW) के लिए उपलब्ध है ।

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
पिता/पति का नाम निवासी ग्राम/नगर
.पटवारी हल्का नं. वि.खं. तहसील
जिला संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति
को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया
गया है और यह जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976
के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है अतः
श्री/सुश्री पिता/पति का नाम
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार
की कुल वार्षिक आय रुपये है ।

दिनांक-

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
आत्मज श्री निवासी ग्राम जिला
संभाग छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक
360/2132/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम
(3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की
कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 2.5.2.1 देखें)

भूतपूर्व, मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम)

जो कि छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित पी.पी.टी. वर्ष. 2015 के आधार पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक..... था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय सील

प्रारूप-3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 2.5.2.1)

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के

माता/पिता नाम) जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री

(अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से

.....(स्थान) तहसील.....जिला.....

छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (स)

**सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
(नियम 2.5.2.1)**

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री.....
.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल
सेना/वायु सेना/नौसेना में ओहदे पर सर्विस क्रमोंक.....
के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा.....इकाई में
पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनोंकसे सेवारत हैं।

स्थान
दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील कमांडिंग ऑफिसर

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.2.2)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिलाके कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर पंजीकृत है ।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
पदनाम एवं सील

प्रारूप -5
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री आत्मज/आत्मजा/
पत्नीनिवासी.....

तहसील व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,
क्योंकि वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:-

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

- (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा ।
- (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।
- (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।
- 3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....
पदनाम एवं सील

प्रारूप-6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम)

जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....

(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की संतान है,

क- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग में.....पद पर..... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग में पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक.....

(नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम)

जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....

(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़

में स्थित इस कार्यालय

स्थान.....जिला.....में.....पद

पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के.....विभाग

अथवा

भारत सरकार केसार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार केअर्धशासकीय निकाय

का/की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनोंक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

Diploma Engg. (Polytechnic) Admission Rules. - 2016

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित पी.पी.टी. वर्ष 2015 के आधार पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्रीका/की/संतान है, जो..... योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान.....

.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम)
जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है,
के पिता/माता श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर
राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनोंक.....से
दिनोंक.....तक(स्थान का नाम) जिला.....
में रही है ।

स्थान.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनोंक.....

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप-11

(नियम 2.14.3)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..... जिला (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता श्री

निवासीतहसील जिला

(छ.ग.) का **31 मार्च 2015** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु

शब्दों मेंरूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि..... के लिए जारी किया जाता है ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त स्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।

